"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 24, शक 1928

भाग 4

विषय-सूची

भाग 4 (क)- कुछ नहीं

भाग 4 (ख)-कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2006

अनुक्रमणिका

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-27/2004/11/(6).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएँ" (तृतीय श्रेणी) सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1 **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएँ " (तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

2 **परिभाषा** :– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) सेवा के संबंध में " नियुक्त प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़ ;

(ख) " बोर्ड" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड ;

(ग) " परीक्षा" से अभिप्रेत है, प्रतियोगी परीक्षा जो सेवा में भरती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अधीन ली जाती है ;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(ङ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

(च) " अनुसूची " से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न सूची ;

(छ) " अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन उस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन उस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित, राज्य सरकार के समसंख्यक अधिसूचना क्र.एफ 85–पच्चीस–4–89 दिनांक 26.12.1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ञ) " सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थायें तृतीय श्रेणी सेवा ;

(ट) "राज्य"से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ राज्य .

3. **विस्तार तथा लागू होना** :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन** :— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होगें, अर्थात:—

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—1मे, विनिर्दिष्ट पद, मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों .

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों और .

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भर्ती किए गये हों .

5 **वर्गीकरण,वेतनमान आदि**— सेवा का वर्गीकरण,सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगें .

परन्तु सरकार समय— समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेंगी.

6. **भर्ती का तरीका – (1)** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात:—

(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्त्ती द्वारा

(ख) पदोन्नति द्वारा

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवा में ऐसे पद, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के साथ अनुसूची—2 में दर्शाई गई प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो और भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए सेवा करना आवश्यक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य

प्रशासन विभाग की पूर्ण सहमति से उक्त उप – नियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें.

7.सेवा में नियुक्ति :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्ते** :– परीक्षा में भाग लेने / परीक्षा में चयन किए जाने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात:–

(एक) आयु– **(क)** उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख, के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–3 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गई आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ सरकार के कर्मचारी है या कर्मचारी रह चुके हो, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तो के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी.

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के

लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :–पद " छटनी किया गया कर्मचारी " से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या संघटक इकाईयों में से किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्षा सेवा की संपूर्ण कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:–पद " भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसे व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अधिशिष्ट घोषित कर दिया गया था :–

(1)ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो.

(2)ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो और जिन्हें:–

(क) अल्पावधि के वचनबद्ध पूर्ण हो जाने पर ,

(ख) भर्ती की शर्तो को पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है

(3)मद्रास सिविल इकाई (यूनिट)के भूतपूर्व कर्मचारी

(4)ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोंन्मुक्त किए गए हों.

(5)ऐसे अधिकारी,जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया

(6)ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें ,अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(7)ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं ।

(8)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसकों गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(घ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी

(ङ) परिवार कल्याण कार्यकम के अधीन ग्रीन कार्ड अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय करने योग्य होगी.

(च) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यकम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) 'विकम पुरस्कार ' धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी .

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जो छत्तीसगढ राज्य निगमों / मंडलो (बोर्डो) के कर्मचारी हो, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक होगी.

(झ) स्वंयसेवी नगर सैनिकों (वालिन्टरी होम गार्डस) तथा नगर सैनिकों के नान– कमीशंड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अधीन रहते हुए शिथिल करने योग्य होगी, परन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(एक) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (ग) (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात परीक्षा देने के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्यागपत्र दे देते है, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होगें तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती है, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेगें. विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त कर लेनी चाहिए.

(दो)शैक्षणिक अर्हतायें :– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए, जो कि अनुसूची–3 में दर्शाई गई है,

(तीन)फीसः–अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा विहित की गयी फीस का संदाय करना होगा.

9 **निरर्हता.**–अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयत्न को बोर्ड द्वारा चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

10 **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा**–

चयन के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे बोर्ड द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11 **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**– (1) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जिन्हें कि नियुक्त प्राधिकारी, बोर्ड के परामर्श से समय– समय पर अवधारित करें.

(2) बोर्ड द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार का संचालन ऐसे आदेशो के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड के परामर्श से समय-समय जारी करें.

(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत 14 प्रतिशत रिक्तियाँ उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछ वर्ग के सदस्य है.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य है, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवाओं में नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियाँ अनन्य रूप से इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए दो बार पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां बिना भरी हुई रह जाय तो वे रिक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी और उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां पश्चातवर्ती चयन के दौरान यथास्थिति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रनीत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञापित की गई रिक्तियों के पैंतालिस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(7) यदि ऐसे पद जिन पर सीधी भर्ती की जाना है, के लिए अनुभव की शर्त विहित की गई है और यदि सक्षम प्राधिकारी यह सोचता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, तब सक्षम प्राधिकारी अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची** :– (1) बोर्ड ऐसे बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों को, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि बोर्ड अवधारित करें, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की यो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न (1) हो, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक्. ध्यान रखते हुए, बोर्ड द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हो, योग्यता (मेरिट) के कम में बनाई गई एक सूची नियुक्त प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों .

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता है, जब तक कि नियुक्ति अधिकारी का,ऐसी जांच करने के पश्चात् , जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्तिः**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–4 में उल्लिखित सदस्य होगें.

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों में अपनी बैठक करेगी.

(3) ऐसे पदों पर, जिनमें पदोन्नति की प्रतिशतता अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार 33/1/2 प्रतिशत या उससे अधिक है, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 16 प्रतिशत .

तथा 20 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हो.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिये प्रक्रिया, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय– समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:– (1) उपनियम (2) के उपबंधों के उपनियम(2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे की पदोन्नति की जानी है, उतने वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जितनी की अनुसूची–4 के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूरी कर ली हो, और जो उपनियम (2) के उपबंधो के अनुसार विचार क्षेत्र में आते हों

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन के निर्मुक्त अधिकारियों की सेवाओं की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख की जाएगी, जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266 –1987 –1–(3)–67, दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा जाए:

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे ज्येष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर चयन ग्रेड/ पदोन्नति के लिए, केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है.

(2) चयन का क्षेत्र " योग्यता – सह– ज्येष्ठता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के सामान्यतः सात गुना तक और " ज्येष्ठता सह योग्यता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के सामान्यतः पांच गुना तक सीमित होगा:

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र में उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा, जिस सीमा तक कि समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझा जाए.

(3) निरीक्षक और सहायक अधीक्षक /आडीटर के लिए चयन योग्यता–सह– ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा और सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक के लिये चयन ज्येष्ठता –सह– योग्यता के आधार पर किया जाएगा.

(4) आडीटर के पद पर पदोन्नति के लिए लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, यदि लेखा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो उपयुक्त वरिष्ठ अभ्यर्थी को लेखा परीक्षक के पद पर इस अभिव्यक्त शर्त के अध्यधीन रहते हुए पदोन्नत किया जा सकता है कि उसे अपनी पदोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उसे पदावनत कर दिया जाएगा.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना –(1)** समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये भी तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन ज्येष्ठता पर सम्यक् ध्यान रखते हुए सभी दृष्टि से योग्यता (मेरिट) तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) ऐसी प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची –4 के कालम (2) में यथा निर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में अपवादिक योग्यता (मेरिट) और उपयुक्तता रखता हो, सूची में उससे ज्येष्ठ कर्मचारियों की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरणः—ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही, उन लोगों के ऊपर जिन पर पश्चावर्ती चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान राज्य अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी भी सदस्य का अधिक्रमण कराना प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

16. **चयन सूची पर नियुक्त प्राधिकारी का अनुमोदन** — नियम 15 के अनुसार समिति द्वारा तैयार की गई सूची निम्नलिखित अभिलेखों के साथ नियुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी :—

(1) सूची में सम्मिलित किए गए समस्त व्यक्तियों के अभिलेख.

(2) अनुसूची—4 के कालम (2) में उल्लिखित सेवा के ऐसे सदस्यों का अभिलेख जिन्हें समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिक्रमित किया जाना है.

(3) अनुसूची—4 के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए समिति द्वारा अभिलिखित किए गए कारण.

17. चयन सूची —

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभिलेख पर तथा समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए, चयन सूची होगी.

(3) चयन सूची सामान्यतया तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता. किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के पालन में गंभीर चूक होने की दशा, में समिति द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्त प्राधिकारी के अनुरोध पर किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः–

(1) चयन सूची में सम्मिलित सेवा के सदस्यों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग में के पदो पर उसी कम से की जायेंगी जिस कम ऐसे सदस्यों के नाम चयन सूची में आए हो.

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आ गई हो, जिससे नियुक्त प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

19. **परिवीक्षा:**— सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20 **निर्वचन:**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर कि उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

21. **शिथिलीकरण** :— इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे नियम लागू होते है, ऐसी रीति में कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति**— इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय— समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन और व्यावृत्ति:**— मध्यप्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1993 (समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ.—14(213)—83—ग्यारह—सी दिनांक 14 दिसम्बर 1994), छत्तीसगढ़ राज्य में इसके विस्तार के संबंध में तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम एवं संकल्प, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संदर्भ में एतद्‌द्वारा, निरसित किये जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

अनुसूची–एक

{ नियम 4 (1) और (5) देखिये }

सेवा में सम्मिलित किए गए पदों का वर्गीकरण, वेतनमान तथा संख्या,

अ. क्र.	सेवा में सम्मिलित किए गए पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निरीक्षक	04	तृतीय श्रेणी	5000–150–8000
2.	सहायक अधीक्षक	01	–"–	4500–125–7000
3.	आडिटर	04	–"–	4500–125–7000
4.	स्टेनोग्राफर	01	–"–	4500–125–7000
5.	सहायक ग्रेड–2	03	–"–	4000–100–6000
6.	सहायक ग्रेड–3	04	–"–	3050–75–3950–80–4590
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	–"–	3050–75–3950–80–4590
8.	स्टेनो टाइपिस्ट	02	–"–	3050–75–3950–80–4590 एवं विशेष वेतन

अनुसूची–दो
भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6(ग) देखिए
		सीधी भरती द्वारा नियम 6 देखिए	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (फर्म्स एवं संस्थाएँ)	**तृतीय श्रेणी**			
	निरीक्षक	–	100 प्रतिशत	–
	सहायक अधीक्षक	–	100 प्रतिशत	–
	आडिटर		50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
	स्टेनोग्राफर		100 प्रतिशत	–
	सहायक ग्रेड–2	–	100 प्रतिशत	–
	सहायक ग्रेड–3	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	–
	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	100 प्रतिशत	–	–
	स्टेनो टाइपिस्ट	100 प्रतिशत	–	–

नोटः– निम्न श्रेणी लिपिक के 25 प्रतिशत पद उन विभागीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों द्वारा भरे जाएंगे जो हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण हो और पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो.

अनुसूची– तीन
(नियम 8 (2)देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं
1.	2.	3.	4.	5.
छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (फर्म्स एवं संस्थाएँ)	**<u>तृतीय श्रेणी</u>**			
	सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	30 वर्ष	(एक) हायर सेकेण्ड्री या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा, (तीन) छ0ग0 शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.
	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(एक) हायर सेकेण्ड्री परीक्षा या 10+2 पद्धति की हाईस्कूल परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो. (दो) शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एकवर्षीय कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा.
	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष	(एक) हायर सेकेण्डरी या उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा । (तीन) छत्तीसगढ शीघ्रलेखन या मुद्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो. (चार) हिन्दी शीघ्रलेखन का ज्ञान हो (न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति)

अनुसूची– चार
(नियम 13 देखिये)
पदोन्नति द्वारा नियुक्त

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस पद सेवा का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (फर्म्स एवं संस्थाएँ)	**तृतीय श्रेणी**			
	आडिटर / सहायक अधीक्षक	निरीक्षक	5 वर्ष	1. रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएँ,छ.ग. रायपुर –अध्यक्ष
	सहायक ग्रेड–2	सहायक अधीक्षक / आडिटर	5 वर्ष	2. डिप्टी रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएँ,छ.ग. रायपुर– सदस्य
	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5वर्ष	3. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छ.ग. रायपुर – सदस्य (स्थापना कक्ष का प्रभारी).
	स्टेना टायपिस्ट	सहायक ग्रेड–2 / स्टेनो ग्राफर	5 वर्ष	
	डाटा. एन्ट्री ऑपरेटर	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	

Chhattisgarh Firms and Societies (Class-III) Services Rules, 2006

CONTENTS

Raipur, the 21st November, 2006

No. F1-27/2004/11/6 - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Firms and Societies (Class-III) Services, namely:-

Rules

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Firms and Societies (Class-III) Services Recruitment Rules, 2006.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the " Official Gazette."

2. Definition.- In these rules, the context otherwise requires:-

(a) "Appointing Authority" in respect of the Services means the Registrars Firms and Societies Chhattisgarh;

(b) "Board" means the Chhattisgarh Junior Services Selection Board;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(e) "Registrar" means the Registrar Firms and Societies, Chhattisgarh;

(f) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" means the Schedule Caste as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "Schedule Tribe" means the Schedule Tribes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "The other backward classes" means the other backward classes of citizens specified by the state government vide Notification No.,F-85 XXv-4-89 Dated the 26 dec. 1984 as amended time to time.

(j) "Service" means Firms and Societies Class-III Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Services.

4. Constitution of the Service.- The Service shall consists of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I.

(2) Persons, recruited to the Service before the commencement of the rules, and

(3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scales of pay attached there to shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either or a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.- (1) Recruitment in the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment by competitive examination.

(b) by promotion.

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b)or clause (c)of

sub-rule (1) shall not at any time exceed percentage shown in Schedule II of the number of duty posts specified Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filling during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government of the exigencies of the service so require, the Appointing Authority through Administrative Department may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointing to the Service.- All appointment to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods or recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility of direct recruits.- In order to be eligible to selection at the examination selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(i) Age.- (a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relexable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Schedule Castes or a Scheduled Tribe.

(c) The upper age limit shall be relexable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government Servant shall not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more then 38 years of age. this concession shall also be admissible to the contingeny paid employees, work charged employees, working in the Project Implementing Commettees.

(iii) A Candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The terms 'retrenched Government Servant' denotes a person who was in temporary Government service of the State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period af all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "ex-servicemen" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employeed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy unit of due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-servicemen released under mustering cut concession;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on :

(a) completion of short-term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-personel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged a completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers;

(5) Officers discharged after working for more than six months

continuously

against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalided out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-short, wounds, etc.

(d) . The General upper age limit shall be 35 year in respect of widouu, dedtitute and diverced women candidate;

(e) The upper age limit shall be relaxable up to two years in respect of those candidates who are Green Card holders under the Family Welfare Programme;

(f) The General age upper age limit shall be relaxable up to five years respect of superior caste partner of a couple awarded under the Inter. Caste Marriage Insentive Programme of the Tribal, Scheduled Castes and Back Ward Classes Welfare Department;

(g) The general age limit shall also relexable up to five years in respect of 'Vikram Award' holders candidates.

(h) The upper age limit for candidate who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Board shall be up to 38 years;

(i) The upper age limit shall be relexed in the case of voluntery Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of Service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 38 years The candidates who are admitted to the examination/selection under

the age concession mentioned in rule 8(g) (i) and (ii) above shall not be elegible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service of post after submitting the applications departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination.

(ii) Educational Qualification.- The candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(iii) Fees.- The candidate must pay the fees prescribed by the Board.

9. Disqualification.- Any attempt on the part of a candidate to obtain as part for his candidate by any means may be held by the Board to disqualify him for selection.

10. Board's decision about the eligibility of candidates shall be Final.- The decision of the Board as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Board shall be allowed to appear in the examination.

11. Direct recruitment by Competitive Examination.- (1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held on such intervals as the Appointing Athority may, in consultation with the Board from time to time, determine.

(2) The examination/interview shall be conducted by the Board in accordance with such order as the Appointing Authority may from time to time issued consultation with the Board.

(3) 16 and 20 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved for candidates who are member of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Shall be considered for appointment in the order in which their means

appear in the list referred to in rule 12 respectively of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintanance of efficiency of administration may be appointed to the reserved for the candidates of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3)

(6) If the sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be readvertised twice exclusively for these candidates. If even after readvertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalant number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, as the case may be during the subsequent selection:

Provided that the number of vacancies reserved for candidates belongings to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forwarded) shall not at any time exceed forty five percent of the total vacancies advertised.

(7) If conditions of experience is prescribed for the post which are to be directly recruited and if the competent Authority thinks that a sufficient number of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes are not available these the competent authority may relax the condition of experience.

12. List of Candidates recommended by the Board.- (1) The Board shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the Board may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes whom though not qulified by that standard, are declared by the Board to be suitable for appointment to the servicee with due regard to the maintanance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and to the Chhattisgarh Civil Services (General Codition of Service) Rules, 1961, candidates shall be

considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Appointment by Promotion.- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 16 percent and 20 percent of the available vacancies for promotion in such post in which the percentage of promotion is 33.1/3 percent or are, as specified in Schedule-II, shall be reserved for candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14.

(4) Procedure for making promotions to the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in the General Administration Department, from time to time.

14. Condition of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all person who, on the 1st day of January of that year had completed such number of year of services (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the service of the released officers of Emergency Commissions and short service commission after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266-1987-I(3)-67, dated the 31st October, 1967;

Provided further that any junior person shall not be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completion the prescribed period of service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of employees to be included in the select list, in respect of posts filled on the basis merit-cum-seniority and five times the number of employees to be included in the select list in respect of posts filled on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that if the required number of suitable candidate are not available in the field, so determined the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

(3) Selection for Inspector and Assistant Superintendent/Auditor shall be made on the basis of merit-cum-seniority and selection for Assistant/U.D.C. on the basis of seniority-cum-merit.

(4) To pass Accounts Training examination is compulsory for the posts of Auditor for promotion. In case Accounts trained candidates are not available, then the promotion to the post of Auditor can be given to senior suitable candidate subject to express condition that he will have to pass the Accounts Training Examination within two years from the date of his promotion, otherwise he will be reverted.

15. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the cours of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of person included in the said list shall also be prepared to meet the unforseen vacancies occuring during the cours of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column (2) of Schedule IV, at the time of preparation of each select list;

Provided that any junior employee, who in the opinion of the committee, is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of employees senior to him.

Explanation: A person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection review or revision, it is proposed to supersede any member of the State Subordinate Civil Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Approval of the appointing authority on select list :- The list will be submitted to the appointing authority with the following records prepared by the Committee according to rule 15;-

(1) The record of all the person included in the list.

(2) The record of such member of the service who are to be superseded as per recommended of the committee mentioned in the column (2) of Schedule IV.

(3) The reasons recorded by the Committee for the proposed supersession mentioned in column (2) of Schedule IV.

17. Select list :- (1) The appointing authority shall consider the second and the list prepared by the committee and unless he considers any changes necessary approve the list.

(2) The list finally approved by the appointing authority from the select list for promotion of the members of the service from the post specified in column (2) of Schedule IV to the post specified in column (3) of the said schedule.

(3). The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapes in the coduct or performance of duties on the part of any persons included in the list, a special review of

the select list may be the committee at the instance of the appointing authority and may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the Service from the Select list :- (1) Appointments of the members of the service included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such member appear in the select list:

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occur any deteroration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.

19. Probation.- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation to the service for period of two years.

20. Interpretation :- If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final..

21. Relaxation :- Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be deal with if any manner less favourable to him then that provided in these rules.

22. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservation and other condition required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal and Saving :- Madhya Pradesh Firms and Societies (Class III) Service Recruitment Rules 1993. (vide notification N.F. 14-(213)-83-XI-C dated 14the December, 1994) in relation to its extent in State of Chhattisgarh and all other rules and resolution in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHANKARRAO BRAHMANE, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

[See Rule 4(1) and(5)]

Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in the Service

S. No. (1)	Name of post included in the Service (2)	Number of post (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
1.	Inspector	04	Class-III	5000-150-8000
2.	Assistant Superintedent	01	Class-III	4500-125-7000
3.	Auditor	04	Class-III	4500-125-7000
4.	Stenographer	01	Class-III	4500-125-7000
5.	Assistant Grade-II	03	Class-III	4000-100-6000
6.	Assistant Grade-III	04	Class-III	3050-75-3950-80-4590
7.	Data Entry Operator	01	Class-III	3050-76-3950-80-4590
8.	Steno typist	02	Class-III	3050-75-3950-80-4590 and special pay

SCHEDULE-II

Method of Recruitment

Name of Department	Name of Service	Percentage of the number of duty posts to be filled		
		By direct recruitment vide Rule 6(a)	By promotion of substantive member of the service vide Rule 6-(b)	By transfer of person from other service vide rule 6-(c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Class III			
Government of Chhattisgarh Commerce & Industries Department (Firms and Societies)	Inspector	-	100%	-
	Assistant Superintendent	-	100%	-
	Auditor	-	50%	50%
	Stenographer	-	100%	-
	Assistant Grade-II	-	100%	-
	Assistant Grade-III	75%	25%	-
	Date entry operator	100%	-	-
	Steno Typist	100%	-	-

Note- 25% Direct recruitment post of Assistant Grade III filled by Class IV employees who have passed Higher Secondary and have completed 5 years of service.

SHEDULE-III
[See Rule 8(2)]
Age and Qualification of Candidate Appointed through Direct recruitement.

Name of Department	Name of service	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification prescribed.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Governm nt of Chhattis arh Commerce & Industri s Department (F ms and Societies)	Class III			
	Assistant Grade-III	18 Yrs.	30 Yrs.	(i) Should have passed Higher secondaryor any examination equivalent to this. (ii) One year Diploma in Computer from any recognised institute (iii) Hindi Typing Examination from CG Shorthand and Typing Board or from any recognised institution should have passed.
	Data Entry Operator	18 yrs	30 Yrs.	(i) Should have passed Higher secondaryor any examination equivalent to this. (ii) One year Diploma in Computer Science from any Govt. or recognised Private institution
	Steno Typist	18 Yrs.	30 Yrs.	(i) Should have passed Higher secondaryor any examination equivalent to this. (ii) One year Diploma in Computer from any recognised institute (iii) Hindi Typing Examination from CG Shorthand and Typing Board or fron any recognised institution should have passed. (iv) Experience in Hindi Stenography (Minimum 60 words per minute)

SCHEDULE-IV
(See Rule 13)
Appointment by Promotion

Name of Department	Name of service of post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Experience for promotion	Name of member of the Departmental promotion Committee (Vide Rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Government of Chhattisgarh Commerce & Industries Department (Firms and Societies)	Class III Service Auditor/ Assist Superintendent	Inspector	5 Years	(1) Registrar Firms & Societies Chhattisgarh Raipur- Chairman.
	Assistant Grade -II	Assistant Superintendent/ Auditor	5 Years	(2) Deputy Registrar, Firms & Societies Chhattisgarh Raipur- Member
	Assistant Grade-III	Assistant Grade II	5 Years	(3) Assistant Registrar Firms & Societies, C.G. (Incharge of estblishement Section)-Member
	Steno Typist	Assistant/Grade II Assistant Grade II /Stenographer	5 Years	
	Data Entry Operator	Assistant Grade-III	5 Years	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.

कार्यालय, संचालक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छ.ग. रायपुर

"विज्ञप्ति"

क्रमांक जी.बी.4 क्र. शा. / (1)डा.कैले.का मु. / 2006-07 / 1202 रायपुर दिनांक 13-12-2006

वर्ष 2007 में नववर्ष से संबंधित हार्डबाउण्ड डायरी, सचित्र कैलेण्डर बड़ा 7 पृष्ठीय आर्ट पेपर, छोटा वाला सचित्र कैलेण्डर आर्ट पेपर 13 पृष्ठीय, शीट कैलेण्डर, बड़ा स्क्रिब्लिंग पैड विथ रिफि.ल, प्लानर, प्लास्टिक का छोटा स्क्रिब्लिंग पैड विथ रिफिल, प्लानर, प्लास्टिक का छोटा स्क्रिब्लिंग पैड विथ रिफि ल, स्क्रिब्लिंग पैड की रिफि ल, पाकेट टेलीफोन डायरी का मुद्रण कर शासकीय विभागों को उक्त सामग्री का प्रदाय शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से किया जायेगा।

उक्त सामग्रियों का विवरण उनके विक्रय मूल्य सहित निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है

स.क्र.	सामग्री का नाम एवं आकार	विवरण	सामग्री का मूल्य प्रति नग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हार्डबाउण्ड डायरी	डायरी हार्डबाउण्ड अच्छी गुणवत्तायुक्त कव्हर में रहेगी तथा इसमें 70 जी.एस.एम. मैपलिथो पेपर का उपयोग किया जायेगा।	65.00
2	सुपीरियर कैलेण्डर (सचित्र) 7 पृष्ठीय, 17'' x 22''	कैलेण्डर 120 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर मुद्रित होगा तथा इसमें बस्तर की पारम्परिक जीवन शैली, संस्कृति एवं रहन-सहन को प्रतिबिंबित करने वाले आकर्षक श्वेत एवं श्याम चित्रों का मुद्रण किया गया है।	40.00
3	छोटा कैलेण्डर (सचित्र) 17 3/4'' x 11 1/4''	यह कैलेण्डर आर्ट पेपर 120 जी.एस.एम. चार रंगों मे छापा जायेगा तथा इसमें 13 पृष्ठ होगें. कैलेण्डर में लघु वनउपज से संबंधित रंगीन चित्रों का मुद्रण किया गया है।	30.00
4	शीट कैलेण्डर 17'' x 11 .5''	यह कैलेण्डर 120 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर मुद्रित होगा तथा इसमें चित्रकोट जलप्रपात का एक नये परिदृश्य में रंगीन चित्र मुद्रित किया गया है।	4.00
5	प्लानर 7'' x 5''	यह सामग्री पूर्व वर्ष की तरहइस वर्ष भी दैनिक कार्यक्रम आयोजना तैयार करने हेतु अधिकारियों के लिये उपलब्ध करायी जा रही है. यह योजना तैयार करने में सहायक होगी।	125.00

क्रमशः 2 पर

स.क्र. (1)	सामग्री का नाम एवं आकार (2)	विवरण (3)	सामग्री का मूल्य प्रति नग (4)
6	स्क्रिब्लिंग (बड़ा) रेगजिंन विथ रिफिल	स्क्रिबिलिंग पैड का कव्हर रेगजीन का हार्डबाउण्ड तथा कव्हर पर छ.ग. शासन का मोनो गोल्डन इम्बोजिंग किया जायेगा।	20.00
7	प्लास्टिक का छोटा स्क्रिबिलिंग पैड विथ रिफिल	कव्हर प्लास्टिक का होगा तथा कव्हर पर गोल्डन स्याही से छ.ग. शासन एवं प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया जायेगा , यह पैड आसानी से पाकेट में रखा जा सकता है।	21.00
8	पॉकेट टेलीफोन डायरी	पाकेट टेलीफोन डायरी में आईडिन्टीटीफि केशन, इम्पार्टेट कान्टेक्ट्स, मेमोरेबल मोमेन्टस, टेलीफोन रिफिल में आवश्यक प्रविष्टियों की सुविधा रहेगी साथ ही इसमें आवश्यक दूरभाष क्रमांकों की जानकारी होगी .	30.00
9	स्क्रिब्लिंग पैड की रिफिल	इस रिफिल का उपयोग स्क्रिब्लिंग पैड में किया जा सकेगा . यह क्लाथ बाउण्ड स्टिच्ड होगी .	8.00

शासकीय विभाग आवश्यकतानुसार सामग्रियों के मूल्य की गणना दर्शाई गई उक्त दरों के आधार पर अग्रिम राशि निर्धारित मद ''0058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-101 राजपत्रों आदि की बिक्री (2)'' में चालान द्वारा कोषालय में जमा कर उपलब्धता के आधार पर सामग्री प्राप्त कर सकते हैं .

12/12/06

संयुक्त संचालक
वास्ते संचालक
मुद्रण तथा लेखन सामग्री
छ.ग. रायपुर

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित / 14-12-2006 / 2000 प्रतियाँ.